संख्या- 87/2015/387/22-4-15-48(28)/08टीसी

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 26 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय कारागार, नैनी में निर्माणाधीन टाइप-2 के 32 नग आवासों के निर्माण हेतु निर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30328/नम-4, दिनांक 20 मार्च,2015 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-67/2015/10/22-4-14-48(2)/10टीसी-4, दिनांक 17 मार्च, 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, नैनी में निर्माणाधीन टाइप-2 के 32 नग आवासों का निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 34,63,000/-(रूपया चौंतीस लाख तिरसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2015 तक अवश्य कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या- 2582/22-4-11-48(2)10टीसी-4, दिनांक 23.12.2011 एवं पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 17.03.2015 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय -01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास-03-कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0 22,60,000/-(रूपया बाइस लाख साठ हजार मात्र) (प्रति संलग्न) तथा मूल आय-व्ययक में कारागार स्टाफ के लिए आवासों के निर्माण मद में उपलब्ध धनराशि रू0 12,03,000/-(रूपया बारह लाख तीन हजार मात्र) से वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-**87**/2015/387(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in